न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या:– 03/2017 दायरा दिनांक 21.03.2017
GCMS 2017/00005

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

जानकीलाल पुत्र हरिराम जाति मीणा निवासी रामनगर तहसील किशनगंज, जिला–बारां।

– प्रार्थी

बनाम

1. रामचरण पुत्र बजरंगा जाति भील निवासी रामनगर हाल मु0 मांगरोल तहसील मांगरोल जिला–बारां
2. बलराम पुत्र बजरंगा जाति भील निवासी रामनगर हाल मु0 मांगरोल तहसील मांगरोल जिला–बारां
3. दौलतराम पुत्र बजरंगा जाति भील निवासी रामनगर हाल मु0 मांगरोल तहसील मांगरोल जिला–बारां
4. विमला पुत्री बजरंगा जाति भील निवासी रामनगर हाल मु0 मांगरोल तहसील मांगरोल जिला–बारां
5. गायत्री पुत्री बजरंगा जाति भील निवासी रामनगर हाल मु0 मांगरोल तहसील मांगरोल जिला–बारां
6. तस्वीर पुत्री बजरंगा जाति भील निवासी रामनगर हाल मु0 मांगरोल तहसील मांगरोल जिला–बारां
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला–बारां। **– अप्रार्थीगण**

उपस्थित

1. **श्री सतीश शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी।**
2. **श्री स्वदेश डे, अभिभाषक अप्रार्थी।**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज.कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

निर्णय **दिनांक 24.09.2024**

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र राजस्थान भू0–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

वांके ग्राम रामनगर पटवार हल्का कंरवरीकला तहसील किशनगंज जिला बारां, राजस्थान में आराजी खसरा नम्बर 227/3 रकबा 5 बीघा अवस्थित है। जिसे प्रार्थना पत्र में आगे चलकर वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी एवं अन्य ग्रामवासियों के मकानात राजकीय विद्यालय आदि बने हुये हैं, प्रार्थी भी उक्त मकान में गावं आबाद होने के समय से ही अपने पूर्वजों के काल से निवास करता आ रहा है। वादग्रस्त आराजी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा

Scanned with OKEN Scanner

बिना जॉच पडताल किये मौके पर भूमि खाली नहीं होने के बाबजूद भी अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 के पिता बजरंगा के नाम पटवारी हल्का एवं राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ करके दिनांक 22.05.1981 को विधि विरूद्ध एवं गैर कानूनी तरिके से अपने नाम आवंटन करवा लिया जबकी आवंटन के पूर्व से ही उक्त आराजी ग्राम रामनगर की आबादी बसी हुई थी। मौके पर भूमि खाली नही होने से उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है। वक्त आवंटन समिति का कोरम भी पूर्ण नहीं था समिति द्वारा अपूर्ण कोरम होने के बाबजूद भी विधि विरूद्ध आवंटन किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के एक हिस्से पर परिवार सहित निवास करता हैं तथा अन्य हिस्से पर आबादी बसी हुई हैं। आवंटी द्वारा आज तक भी आवंटित भूमि पर काशत नही की इसलिए भी आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी को उक्त आवंटन की जानकारी नहीं थी लेकिन दिनांक 20.02.2017 को प्रार्थी द्वारा अपने रिहायसी मकान के पट्टे हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन किया तो प्रार्थी को उक्त आवंटन की जानकारी हुई तत्पश्चात् नकल आवंटन व अन्य नकलें प्राप्त कर प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत है।

अपीलान्ट द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने पर देरी को माफ करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत पृथक से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जो शामिल पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.02.2017 को तत्पश्चात् नकल प्राप्त करने पर हुई। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 में वर्णित कारणों से हम सहमत हैं। अतः प्रस्तुत अपील में डिले को माफ करते हुए अवधि मध्य मानी जाकर अपील विचारार्थ स्वीकार की जाती है।

अप्रार्थीगण 1 ता 6 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र निम्नांकित पेश है :—

1. वांके ग्राम रामनगर पटवार हल्का करवरी कलां तहसील किशनगंज जिला–बारां (राज.) में आराजी खसरा नम्बर 227/3 रकबा 5 बीघा भूमि अवस्थित है। जो अप्रार्थीगण 1 ता 6 के पिता बजरंगा वल्द भैरू जाति भील निवासी करवरीकलां को आवंटन समिति शिविर करवरीकलां दिनांक 22.05.1981 को आवंटन हुई थी।
2. उक्त कृषि भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण 1 ता 6 के पिता बजरंगा वल्द भैरू जाति भील निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज के नाम खाता संख्या नया 24 पुरानी 22 खसरा नम्बर 227/3 रकबा 5 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुकी है। जिस पर अप्रार्थीगण 1 ता 6 का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है।
3. उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी का कभी कब्जा नहीं रहा है प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है जो निरस्तनीय है, अप्रार्थीगण का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। इसलिए भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।
4. उक्त भूमि का आवंटन विधि अनुसार होने से तथा अप्रार्थीगण का उक्त भूमि पर काबिज काश्त व खातेदारी भूमि के अधिकार प्राप्त हो चुके है। इसलिए भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।
5. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से सुनवाई योग्य नहीं है। अप्रार्थीगण भूमिहीन व्यक्ति है तथा भील जाति के सदस्य है। इनका आवंटन निरस्त कर दिया गया तो अप्रार्थीगण का परिवार भूखा मर जावेगा। जबकि प्रार्थी जाति से मीणा है एवं पूंजीपति व साधन सम्पन्न व्यक्ति है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी का यह कथन की आवंटन की उद्घोषणा जारी नहीं की गई नियम

Scanned with OKEN Scanner

विरूद्ध आवंटन किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से प्रमाणित नहीं होता है। प्रार्थी का यह कथन की पटवारी जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम रामनगर के खसरा नम्बर 227/3 रकबा 5 बीघा भूमि पर आवंटी मौके पर काबिज नहीं है। मौके पर उक्त भूमि में आबादी बसी हुई है। जिसमें लगभग 60 परिवार निवास करते आ रहे हैं। वर्णित है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा अलोटमेन्ट के पूर्व से था और वर्तमान में प्रार्थी का ही कब्जा है। अप्रार्थी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा इसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध हल्का पटवारी रिपोर्ट से होती है। पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार आवंटन शुदा भूमि खसरा नम्बर 227/3 रकबा 5 बीघा भूमि पर अप्रार्थीगण व उसके पिता का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। मौके पर आबादी बसी हुई हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, ग्राम रामनगर की आराजी खसरा नम्बर 227/3 रकबा 5 बीघा भूमि पर अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर कभी कब्जा नही रहा हैं। आवंटित भूमि पर वर्तमान में आबादी बसी हुई हैं तथा न ही आवंटन शर्तो की पालना की गई। पटवारी मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम रामनगर के खसरा नम्बर 227/3 रकबा 5 बीघा भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं रहा है तथा आबादी बसी हुई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रामनगर की आराजी खसरा नम्बर 227/3 रकबा 5 बीघा भूमि रामचरण पुत्र बजरंगा बगैरहा का आवंटन निरस्त किया जाता है। अतः पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Scanned with OKEN Scanner